उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम, 1964

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1964)

THE UTTAR PRADESH SAHAKARI GRAM VIKAS BANKS ACT, 1964

(U.P. Act No. XVI of 1964)

उत्तर प्रदेश [1][सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम], 1964[2]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1964)

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1978

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2014

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अप्रैल, 1964 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 6 मई, 1964 ई की बैठक मे स्वीकृत किया ।

[भारत का संविधान] के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 9 जुलाई, 1964 ई को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट मे दिनांक 20 जुलाई, 1964 ई को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य मे सहकारी ग्राम विकास बैंको के कार्य–संचालन की सुकर बनाने के लिये ।

अधिनियम

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि [3][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] के कार्य संचालन और राज्य में [3][सहकारी ग्राम विकास बैंक] के निर्माण तथा उनके कार्य–संचालन को और सूकर बनाया जाय ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और आरम्भ

1–(1) यह अधिनियम [3][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] अधिनियम, 1964 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश मे होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा *जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे ।

परिभाषायें

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में–

(क) "मण्डल" का तात्पर्य [4][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के निदेशक मण्डल से है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उद्देश्य और कारणो के विवरण के लिये कृप्या दिनांक 3 अप्रैल, 1964 ई. का सरकारी असाधारण गजट देखिये।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

* यह अधिनियम 15 अगस्त, 1964 से प्रदत्त हुआ अधिसूचना सं 4568 सी/बारह.सौ.ए.1150/63 दिनांक 13 अगस्त, 1964 देंखे।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) "उप–विधियो" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबंधित उप–विधियो से है और इसके अन्तर्गत उप–विधियो का कोई निबंधित सेशोधन भी है ;

1[(ग) ग्राम विकास बैंक या सहकारी ग्राम विकास बैंक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1965, के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जो उत्तर प्रदेश ग्राम–विकास बैंक के सदस्य के रूप मे स्वीकृत की गई हो, और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यो को, सामान्यता कृषि और ग्रामीण विकास के लिये, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र मे आवासीय भवन के निर्माण भी हैं, अचल सम्पत्ति के बंधक या उसके प्रभार पर या चल सम्पत्ति की गिरवी पर या राज्य सरकार के बिना शर्त प्रत्याभूति पर ऋण देना हो और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सदस्यों के हित में या सदस्यों द्वारा चाहने पर कोई अन्य क्रियाकलाप करना हों ।]

(घ) "प्रबंध समिति" का तात्पर्य किसी 2[ग्राम विकास बैंक] के उस शासी निकाय से है जिसे उसके कार्यो का प्रबन्ध सौंपा गया हों ;

(ङ) "अधिकारी" के अन्तर्गत सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, मण्डल या प्रबंध समिति का सदस्य या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसे निगमों या उपविधियों के अधीन विकास 2[उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] या किसी 2[ग्राम विकास बैंक] के कार्य के संबंध मे निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमो द्वारा नियत से है ;

(छ) "नियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली से है;

(ज) "निबन्धक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के उपबन्धो के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के लिए सहकारी समितियों के निबन्धक के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन मंडल द्वारा बनाये गये विनियमों से है ;

(ञ) 2[उत्त्र प्रदेश ग्राम विकास बैंक] या 2[उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसका कार्य–क्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश में हो और जो किसी 3[ग्राम विकास बैंक] का कार्य कर रही हो और जो (उसके सदस्यों के कार्य) का सुकर बनाती हो;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार है ;

(ठ) "न्यासधारी" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 4 में अभिदिष्ट न्यासधारी से है।

भूमि विकास बैंकों की संख्या

3–समस्त उत्तर प्रदेश के लिए एक से अधिक 2[उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] नही होंगे और उतने 2[ग्राम विकास बैंक] हो सकते है जितने निबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जायें।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

न्यासधारी की नियुक्ति तथा उनके अधिकार और कृत्य

4–(1) निबन्धक मंडल द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्रधारियों के प्रति [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के दायित्वों (obligation) की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यासधारी होगा।

(2) न्यासधारी के अधिकार और कृत्य इस अधिनियम के उपबन्धो तथा [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] और न्यासधारी के मध्य निष्पादित न्यास–संलेख द्वारा, जैसा कि वह उनके मध्य परस्पर अनुबंध द्वारा और राज्य सरकार के अनुमोदन के समय समय पर परिष्कृत [2][या प्रतिस्थापित] हो, शासित होंगे ।

न्यासधारी एक एकल निगम होगा।

5–धारा 4 के अधीन नियुक्त न्यासधारी, न्यासधारी के नाम से एक एकल निगम होगा और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार (Repetual Succesion) होंगा और एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद चलायेगा और उसी नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जायगा ।

मंडल द्वारा ऋण पत्रो का जारी किया जाना

6– [3][(1) राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से, और ऐसी शर्तो और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, मण्डल समय–समय पर, मूलधन का पूरा प्रतिदान करने और उसके ब्याज का भुगतान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गयी बिना शर्त प्रत्याभूति पर अंशतः घृत और अंशतः अर्जित किये जाने वाले बन्धक, प्रभार या गिरवी की और ऐसी संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों की, जो धारा 12 के उपबन्धो के अधीन [1][ग्राम विकास बैंको] द्वारा [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] को संकमित की गयी समझी गयी हों, और [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] की अन्य संपत्तियों की, प्रतिभूति पर एक या अधिक अभिधानो के ऋण–पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जिसे वह इष्टकर समझे, जारी कर सकता है ।]

[4][प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऋणपत्र ऐसे निदेशों या अनुदेशों से, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट द्वारा समय–समय पर जारी किये जाय भिन्न रूप में जारी नहीं किये जायेंगे।];

(2) ऐसे ऋण–पत्रो मे ऐसी शर्त रखी जा सकती है जिसमे जारी किये जाने के दिनांक से [5][बीस वर्ष] से अनधिक की ऐसी अवधी निश्चित की जाय जिसमे वे अविमोच्य अविमोच्य (irredeemable) होगे अथवा जिनमे मण्डल के लिये यह अधिकार रक्षित रखा जाय कि यह सम्बन्धित ऋण–पत्रधारी (debenture holder) को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी ऋण–पत्र को उनके विमोचन के लिए निश्चित दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रत्याहूत (to call in) कर ले ।

[6][(3) उपधारा (1) के अधीन मण्डल द्वारा पहले से जारी किये गये ऋण पत्रो पर देय कुल मिलाकर निम्नलिखित धनराशि के योग से अधिक न होगी :–

(क) बन्धक या प्रभार या गिरवी पर [7][या राज्य सरकार द्वारा बिना शर्त प्रत्याभूति प्रत्याभूति के प्रति किसी ऋण अग्रिम पर] देय धनराशियो और ऐसी अन्य परि–संम्पत्तियों का मूल्य, जो धारा 12 के अधिन [1][ग्राम विकास बैंक] द्वारा [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] को संकमित की गयी हों या संकमित की गयी समझी गयी हो और जो तत्समय वर्तमान हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 4 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 6(क) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 6 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1978 की धारा 4(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 6 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

terms and conditions and limitation as provided for debentures in this Act.]

(ग) हस्तस्थ रोकड़ और बैंको मे अतिशेष और सामान्य निधियों के अधीन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो ; और

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) मे उल्लिखित धनराशी का ऐसा प्रतिशत जो नियत किया जाय।]

न्यासधारी मे संपत्ति का निहित किया जाना और परि–संपत्तियों पर ऋण–पत्रधारीयाँ का प्रभार

[1]**[7–**धारा 6 के अधीन ऋण–पत्र जारी होने पर राज्य सरकार की प्रत्याभूति के अधीन फायदा और उक्त धारा की उपधारा (3) मे निर्दिष्ट और मण्डल द्वारा घृत बन्धकग्रस्त संपत्तियां और अन्य परिसंपत्तियां न्यासधारी में निहित होगी और ऋण–पत्रधारी राज्य सरकार की प्रत्याभूति के फायदे के हकदार होगे और उनका ऐसे समस्त बन्धको और परिसंपत्तियों और ऐसी प्रत्याभूति या बन्धको के अधीन भुगतान की गई और [2][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] या न्यासधारी के पास शेष धनराशियों पर चल प्रभार होगा ।]

[3][ऋण पत्र के द्वारा अथवा अन्य प्रकार से ली जाने वाली धनराशि] का मूलधन और उन का ब्याज राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा

8–(1) धारा 6 के अधीन जारी किये गये [3][ऋणपत्रों] का मूलधन तथा उनका ब्याज ऐसी अधिकतम धनराशि तक जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत की जाये, तथा ऐसी शर्तो के अधिन रहते हुये जो वह उसमे आरोपित करना उचित समझे, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा ।

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तो के अधीन रहते हूए जो नियत की जायें, उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ा सकती है।

(3) राज्य सरकार मंडल तथा न्यासधारी से परामर्श करने के पश्चात –

(क) सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, और

(ख) इस राज्य तथा भारत के अन्य राज्यों के ऐसे प्रमुख समाचार–पत्रो में नोटिस देकर जिन्हें इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार चुने,

एक निर्दिष्ट दिनांक से, जो सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन से छः मास से पूर्व का न हां, अपने द्वारा दी गयी किसी प्रत्याभूति को समाप्त कर सकती है अथवा उसकी अधिकतम धनराशि को कम कर सकती है अथवा उन शर्तो में परिष्कार कर सकती है, जिनके अधिन वह दी गयी हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रत्याभूति की समाप्ति, कमी अथवा परिष्कार किसी भी प्रकार से उस प्रत्याभूति पर प्रभाव न डालेगा जो उस दिनांक के पूर्व जारी किये गये किसी ऋण–पत्र के संबंध में हों जब से ऐसी समाप्ति, कमी या परिष्कार प्रभावी हो ।

(4) जब प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशी कम करना हो अथवा उन शर्तो को जिनके अधीन प्रत्याभूति दी गयी हो, परिष्कृत करना हो, तो उपधारा (3) में अभिदिष्ट प्रत्येक विज्ञप्ति और नोटिस में, यथास्थिति, ऐसी कमी अथवा परिष्कार के क्षेत्र और प्रभाव का यर्थातः उल्लेख होगा।

[4]**[**(5) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बोर्ड धारा 9–क में निर्दिष्ट संस्थाओं में वे किसी से, धारा 6 में उपबंधित ऋण–पत्र जारी करने की रीति या उपाय से भिन्न किसी अन्य रीति या उपाय से, इस अधिनियम में ऋण–पत्रों के लिए यथा उपबंधित नियमों और शर्तों और सीमाओं पर राज्य सरकार की

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2014 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2014 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

[1][Gram Vikas Bank] to stand vested

after the commencement of this Act, shall, with effect from the date of such execution or transfer, be deemed to have been transferred by

प्रत्याभूति निधि

9–(1) राज्य सरकार ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों पर जिन्हें वह उचित समक्ते एक प्रत्याभूति दी गयी हो, परिष्कृत करना हो, तो उपधारा (3) में अभिदिष्ट प्रत्येक विज्ञप्ति और नोटिस मे, यथास्थिति, ऐसी कमी अथवा परिष्कार के क्षेत्र और प्रभाव का यथार्थतः उल्लेख होगा।

(2) [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] तथा [1][ग्राम विकास बैंक] उक्त निधि में से ऐसी दरों पर अंशदान देंगे जो नियत की जायें।

[2][(2–क) राज्य सरकार भी समय–समय पर निधि में ऐसी धनराशी का अंशदान कर सकती जिसे वह उचित समझे ।]

(3) उक्त निधि का अनूरक्षण और उपयोग ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो नियत किये जायें ।

धन उघार लेने की शक्ति

[3][(**9–क**) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1985 में किसी बात के होते हुए भी, मण्डल राज्य सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट या ऐसे अन्य वित्तीय संस्थाओं से जैसा न्यासधारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, धन उधार ले सकता है।]

कुछ दावो पर गंधक की पूर्वता ऐक्ट सं0 19, 1883

10–इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात [1][उत्तर प्रदेंश ग्राम विकास बैंक] या [1][ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में निष्पादित किसी भी बन्धक [4][या सृजित किसी भी प्रभार] को लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोनस ऐक्ट, 1883 के अधिन, किसी ऐसे ऋण से जो उक्त बन्धक के निष्पादन [2][या प्रभार के सृजन] के पश्चात दिया गया हो, उत्पन्न सरकारी दावे पर पूवता प्राप्त होगी ।

[1][ग्राम विकास बैंक] अथवा [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] का बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति तय करने का अधिकार

11– [5][(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि मे किसी बात के होते हुए भी, किसी [1][ग्राम विकास बैंक] या [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के लिये अधिनियम के अधीन बेची गयी किसी सम्पत्ति को क्रय करना विधिपूर्ण होगा और ऐसा बैंक इस प्रकार क्रय की गयी सम्पत्ति को ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाये, विक्रय करके निस्तारण करेगा ।]

1951 ई0 का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1

(2) 1950 ई0 के जमौदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 में अथवा तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि में दी गयी कोई भी बात जिसमें कृषि जोत [6][या अन्य अचल सम्पत्ति] की अधिकतम सीमा नियत की गयी हो, [1][ग्राम विकास बैंक] अथवा [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] द्वारा उपधारा (1) के अधीन भूमि [6][या अन्य अचल सम्पत्ति] के अर्जन पर प्रवृत्त न होगी।

[7](क) यदि बैंक की उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसके विक्रय होने के तक पट्टे पर देना हो तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नही होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी पट्टेदार उस सम्पत्ति में कोई अन्य हित अर्जित नही करेगा।]

[1][ग्राम विकास बैंक] के पक्ष मे

12–इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व अथवा उनके उपरान्त [1][ग्राम विकास

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 2 द्वारा बढाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 7 द्वारा बढाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 8 द्वारा बढाया गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 4 (ख) द्वारा बढाया गया।

Act IV of 1882

(2) On receipt of such application, the Registrar or any other person authorized by him in this behalf in writing may

[1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] को संक्रमित की गयी समझी जायेगी और [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] मे निहित हो जायेगी।

विकास बैंक] में निहित होंगे

[1][ग्राम विकास बैंक] का धन प्राप्त करने तथा उन्मोचन देने का अधिकार

13–इस बात के होते हुए भी कि किसी [1][ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में निष्पादित बन्धक [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] को संक्रमित कर दिया गया हो अथवा धारा 12 के अपबन्धो के अधीन संक्रमित कर दिया गया समझा गया हो–

(क) मंडल अथवा न्यासधारी द्वारा जारी किये गये तथा बंधककर्ता को संसुचित किये गये किसी प्रतिकूल विशिष्ट निदेश के न होने पर बन्धक के अधीन देय सभी धन [1][ग्राम विकास बैंक] को दिया जायेगा और भुगतान उसी प्रकार वैध होगा मानो बन्धक इस प्रकार संक्रमित न किया गया हो ; और

(ख) मंडल अथवा न्यासधारी द्वारा जारी किये गये तथा [1][ग्राम विकास बैंक] को संसूचित किये गये किसी प्रतिकूल विशिष्ट निदेश के न होने पर, [1][ग्राम विकास बैंक] बन्धक के आधार पर वाद चलाने या बन्धक के अधिन देय धनराशी की वसूली के नियेे कोई अन्य कार्यवाही करने का हकदार होगा ।

ऐक्ट संख्या 4, 1982 [1][ग्राम विकास बैंक] के पूर्व ऋणो का बन्धक कर्ता का भुगतान करने का अधिकार

14–(1) यदि बन्धककर्ता के पूर्व ऋणों का भुगतान करने के लिये किसी [1][ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में कोई बन्धक निष्पादित किया गया हो तो ट्रांसफर आफ प्रापटी ऐक्ट, 1882 तथा तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी बैंक लिखित नोटिस देकर, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे इस प्रकार का कोई ऋण या उसका कोई अंश देय हो, ऐसी धनराशी का भूगतान बैकं के निबन्धित कार्यालय से ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाये, प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि कोई ऐसा व्यक्ति उक्त नोटिस लेने से इन्कार करे अथवा उक्त भूगतान न ले या भूगतान लेने से इन्कार करे तो यथास्थिति, ऐसे ऋण या उसके अंश पर नोटिस कें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से ब्याज नही मिलेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी ऐसे ऋण की धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो वह व्यक्ति जिसे उक्त ऋण देय हो, [1][ग्राम विकास बैंक] द्वारा ऋण के मदे प्रस्तुत की गयी धनराशि का भुगतान लेने के लिये बाध्य होगा, किन्तु इस प्रकार भुगतान लेने से उस व्यक्ति के उस अधिकार पर, यदि कोई हो जो उसे अपने द्वारा अभियाचित अवशेष की वसूली करने के लिये प्राप्त हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अभिहरण कब किया जायगा

15–(1) यदि [1][ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में निष्पादित किसी बन्धक के अधीन देय कोई किस्त या ऐसी किस्त का कोई अंश, उस दिनांक से जब से वह देय हुआ हो, एक मास से अधिक अदत्त रहा हो, तो प्रबंध समिति किसी ऐसे अन्य प्रत्यूपाय के अतिरिक्त जो उक्त बैंक को प्राप्त हो, बंधक ग्रस्त भूमि की उपज के, जिसके अन्तर्बत बड़ी फसल भी है, अभिहरण तथा विक्रय द्वारा ऐसी किस्त या उसके अंश की वसूली के लिये निबन्धक को प्रार्थना–पत्र दे सकती है।

ऐक्ट संख्या 4,

(2) ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, निबन्धक या उसके द्वारा लिखित रूप मे तदर्थ

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

manner, as may be prescribed.

होते हुए भी, उक्त उपज के अभिहरण या विक्रय करने के प्रयोजन के लिये नियत रीति से कार्यवाही कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जब किस्त देय हुई हो, बारह मास के बीत जाने के उपरान्त, कोई अभिहरण नही किया जायेगा।

(3) अभिहरण उतनी सम्पत्ति का किया जायेगा जिसका मूल्य, यथासम्भव निकटतम, देय धनराशी, अभिहरण के व्यय तथा विक्रय के परिव्यय और अभिहरण की हुई सम्पत्ति पर पूर्व प्रभार के, यदि कोई हो, सम्बन्ध में भी देय धनराशी के योग के बराबर होगा।

विक्रय के अधिकार का प्रयोग कब किया जायेगा

ऐक्ट संख्या 4, 1882

16–(1) ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882 में किसी बात के होते हुये भी यदि न्यायनलय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय का अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात [1][की गयी प्रभार की घोषणा या निष्पादित बंधक विलेख द्वारा] [2][ग्राम विकास बैंक] को स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, तो ऐसे बैंक की प्रबन्ध समिति को अथवा ऐसी समिति तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, [1][बंधक या प्रभार के अधीन बकाया धन] या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में उक्त बैंक को उपलब्ध किसी अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त, बन्धकग्रस्त या [1][प्रभारित] सम्पत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग तब तक नही किया जायेगा जब तक कि––

(क) एक लिखित नोटिस जिसमें ऐसे बंधक धन या उसके अंश के भुगतान की अपेक्षा की गयी हो, निम्निलिखित पर तामील न कर दिया गया हो––

(1) बंधककर्ता या बन्धककर्ताओ मे से प्रत्येक ;

(2) कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक की जानकारी में बंधकग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके उन्मोचन के अधिकार में कोई हित हो अथवा उस पर कोई प्रभार हों ;

(3) बंधक–ऋण या उसके किसी अंश के भुगतान के लिये कोई प्रतिभूति तथा

(4) बंधककर्ता का कोई ऋणदाता जिसने अपनी सम्पदा के प्रशासन से सम्बन्धित किसी बाद में बंधकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिये डिग्री प्राप्त कर ली हो ;

(ख) ऐसी तामील से तीन महीने के पश्चात् उक्त बंधक–धन अथवा उसके अंश के भुगतान में चूक न की गयी हो ; और

(ग) मण्डल ने खण्ड (क) में उल्लिखित बंधक–कर्ता या अन्य किन्ही व्यक्तियों की आपत्तियों को, यदी कोई है, सुनने के पश्चात् ऐसे अधिकार के प्रयोग को प्राधिकृत न कर दिया हो ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

sub-section (2) is taken by the Board, the provisions of this Act and the rules or regulations made in this behalf shall apply in respect thereto

[1][(4) जहां इस अधिनियम के अधीन बेची गयी कोई सम्पत्ति बंधक या प्रभार करने वाले व्यक्ति के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के, या किसी [2][ग्राम विकास बैंक] या [2][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में ऐसे बंधक रखे जाने के या प्रभार सृजन के पश्चात् से हक का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो तो कलेक्टर क्रेता के प्रार्थना–पत्र पर ऐसे क्रेता या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को सम्पत्ति पर अध्यासित कराकर कब्जा दिये जाने का आदेश देगा।]

[3][(5) इस धारा के अधीन किसी कृषि जोत या किसी अन्य अचल सम्पत्ति या उसमें किसी हित का विक्रय उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157–क और 157–ख के उपबन्धो के अधीन होगा।]

बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति नष्ट होने अथवा प्रतिपूर्ति अपर्याप्त होने पर [2][ग्राम विकास बैंक] के अधिकार

17–यदि किसी ग्राम विकास बैंक के पास बंधक रखी गयी कोई सम्पत्ति पूर्णतः अथवा नष्ट हो जाय अथवा प्रतिभूमि अपर्याप्त हो जाये और बन्धक कर्ता को [2][ग्राम विकास बैंक] का प्रबन्ध समिति द्वारा इस बात कह समुचित अवसर दिये जाने के बाद कि वह इतनी और प्रतिभूति की व्यवस्था करे कि प्रतिभूति पर्याप्त हो जाये या वह ऋण के उतने अंश का प्रतिदान न करे जो समिति अवधारित करे, वह उक्त प्रतिभूति की व्यवस्था न करे या ऋण के उक्त भाग का प्रतिदान न करे तो सम्पूर्ण ऋण तूरन्त उतने दिये समझा जायगा और समिति बंधक–कर्ता के विरूद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधिन उसकी वसूली के लिये कार्यवाही करने की हकदार हो जायेगी ।

स्पष्टीकरण– इस धारा के अर्थ में प्रतिभूति तब तक अपर्याप्त मानी जायगी जब तक बंधकग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य बंधक के सम्बन्ध में तत्समय देय धनराशि सें उस अनूपात में अधिक न हो जो [1][ग्राम विकास बैंक] के नियमों, विनियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाये।

मंडल अथवा न्यासधारी का सम्पत्ति के अभिहरण तथा विक्रय आदि का अधिकार

18–(1) सीधे [2][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के पास रखे गये बंधक की दशा में धारा 15, 16 और 17 के अधिन किसी [2][ग्राम विकास बैंक] की प्रबंन्ध समिति को दिये गये समस्त अधिकार मंडल या न्यासधारी को प्राप्त होंगे, और धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अधिकार का प्रयोग करने में उस धारा की उप–धारा (2) का खण्ड (ग) अस्तित्वहीन समझा जायगा ;

(2) मण्डल अथवा न्यासधारी किसी [2][ग्राम विकास बैंक] की प्रबन्ध समिति के धारा 15 अथवा 16 या धारा 17 के अधीन किसी बाकिदार के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है, और यदी समिति ऐसा करने में उनवधानता करे अथवा ऐसा न करे तो मंडल अथवा न्यासधारी उपधारा (1) के उपबन्धो के अधीन रहते हुये ऐसी कार्यवाही कर सकता है।

(3) (क) यदि ऐसी कार्यवाही जिसका उल्लेख उपधारा (1) अथवा (2) में किया गया है मण्डल द्वारा की जाये जो इस अधिनियम तथा तदर्थ बनाये गये नियमों या विनियमों के

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 कि धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 9 द्वारा बढाया गया।

विकास बैंक] तथा उसकी प्रबन्ध–समिति के सम्बन्ध में [1][ग्राम विकास बैंक] तथा मण्डल के संबन्ध में समस्त अभिदेश न्यासधारी के सम्बन्ध में अभिदेश हों ।

(ख) यदि ऐसी कार्यवाही जिसका उल्लेख उप–धारा (1) अथवा (2) में किया गया है न्यासधारी द्वारा की जाये तो इस अधिनियम तथा तदर्थ बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो उक्त उपबन्धों में [1][ग्राम विकास बैंक] अथवा उसकी प्रबन्ध–समिति के सम्बन्ध में समस्त अभिदेश न्यासधारी के सम्बन्ध में अभिदेश हों।

अनियमितता आदी के आधार पर क्रेता के आगम पर आपत्ति नही की जायेगी

19–यदी धारा 16 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत प्रयोग करके कोई सम्पत्ति बेची जाये तो क्रेता के आगम पर इस आधार पर आपत्ति नही की जायेगी कि––

(क) विक्रय का अधिकार देने के लिये अपेक्षित परिस्थितियो उत्पन्न नहीं हुई थी ; अथवा

(ख) विक्रय का यथोचित नोटिस नही दिया गया था ; अथवा

(ग) विक्रय के अधिकार का अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था, किन्तु किसी व्यक्ति को जिसे किसी ऐसे अधिकार के अनधिकृत, अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग से कोई क्षति पहुंची हो, [1][ग्राम विकास बैंक] के विरूद्ध क्षति मूल्य का दावा करने का अधिकार होगा ।

बंधक कर्ता के ऋण शोधश्रम हो जाने के आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी

20–ऋण शोध क्षमता से सम्बन्धित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, ग्राम विकास बैंक में निष्पादित बंधक पर इस आधार पर आपत्ति नही की जायेगी कि वह मूलवान प्रतिफल के लिये सद्भावना से निष्पादित नही किया गया था या कि वह बंधककर्ता के अन्य ऋणदाताओ पर [1][ग्राम विकास बैंक] को अधिमान देने के लिये निष्पादित किया गया था ।

प्रापक की नियुक्ति तथा उसके अधिकार

ऐक्ट संख्या 4, 1882

21–(1) मण्डल स्वतः अथवा [1][ग्राम विकास बैंक] के प्रार्थना–पत्र पर तथा उन परिस्थितियों में जिनमे धारा 16 के अधीन किसी प्रबंध–समिति अथवा मंडल द्वारा विक्रय के अधिकार का प्रयोग, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, बंधक ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के लिये लिखित रूप से एक प्रापक नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा प्रापक, सम्पत्ति पर कब्जा करने और उसकी उपज तथा आय हो संग्रहित करने अपने द्वारा वसूल किये गये धन में से अपना प्रबन्ध–व्यय, जिसमें उसका मण्डल द्वारा निश्चित किया गया पारिश्रमिक यदी कोई हो, सम्मिलित है–– काट लेने और अवशिष्ट धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882 की धारा 69–ए की उप–धारा (8) के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो, उपयोग करने का हकदार होगा ।

(2) मण्डल स्वतः अथवा बंधककर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र पर उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रापक को हटा सकता हैं ।

(3) प्रापक के पक्ष में हुई रिक्ति की पूर्ति मण्डल द्वारा की जा सकती है।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

section shall be void ;

(4) इस धारा के किसी बात से मण्डल को उस दशा में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार न होगा जब बंधकग्रस्त सम्पत्ति पहले से ही दीवानी न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक के कब्जे में हो ।

अन्तरणीय अधिकार वाले कृषकों को अन्तरणीय अधिकार निहित करना

[1][**21–**(क) राज्य सरकार किसी [2][ग्राम विकास बैंक] या [2][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धो के अधीन रहते हुये, जिन्हें अनिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, समस्त भूमिधारो को, चाहे वे अन्तरणीय अधिकार वाले हों या नही, [3][असामियो] और सरकारी पट्टेदारो को उनके खाते के अधीन वृत भूमि में, या ऐसी भूमि मे किसी हित में, अन्तरण के अधिकार, जिसमें ऐसी भूमि या हित के सम्बन्ध में ऐसे बैंक के पक्ष में प्रभार या बन्धक करने का अधिकार भी सम्मलित है , निहित कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर ऐसे भूमिधर [3][असामी] और सरकारी पट्टेदार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, ग्रान्ट या अन्य संलेख में किसी प्रतिफल बात के या किसी रूढ़ि या परम्परा के होते हुये भी, अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार अन्तरण का अधिकार होगा ।]

कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के पक्ष में प्रभार का सृजन

[4][**21–**(ख) (1) कोई व्यक्ति जो किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से अपनी चल सम्पत्ति को गिरवी रखकर वित्तिय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, सम्यक् रूप से स्टाम्पित पत्र पर लिखित घोषणा कर सकता है कि वह उसके द्वारा ऐसे बैंक के पक्ष में ऐसी सम्पत्ति को गिरवी रखता है ।

(2) जब किसी ऐसी व्यक्ति के पास, जो किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो ऋण प्राप्त करनें के लिये र्प्याप्त मूल्य की सम्पत्ति न हो, तब उसे ऐसे बैंक द्वारा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसी नियत की जाय, बैंक के संतोषानूसार प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती हैं ।

इस अधिनियम के उपबन्ध गिरवी, पर लागू होगें

21–(ग) इस अधिनियक और इस अधिनियम के अधीन लिये गये प्रभारी और रखे गये बन्धको के संबंध में बनाये गये नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन गिरवी रखी गयी चल सम्पत्ति पर लागू होंगे ।]

बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति को पट्टे पर देने या उस पर अन्य अधिकार सृजित करने के बंधककर्ता के अधिकार पर निर्बन्धन

[5][**22–**संपत्ति का अन्तरण, अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में किसी [2][ग्राम विकास बैंक] या [2][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में कोई प्रभार, गिरवी या बंधक किया गया हो, प्रभार गिरवी या बन्धककर्ता द्वारा तब तक बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि उसके द्वारा [2][ग्राम विकास बैंक] या [2][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] से लिये गये ऋण या अग्रिम को सम्पूर्ण धनराशी और उसके ब्याज का भुगतान बैंक को न कर दिया गया हो और इस धारा का उल्लंघन करके किया गया कोई

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 6 द्वारा बढाया गया।
2. उ0 प्र0 विभिन्न अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 10 द्वारा बढाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 11 द्वारा बढाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी सदस्य द्वारा उधार ली गयी धनराशि के किसी भाग का भुगतान कर दिया जाये तो उस सदस्य के प्रार्थना–पत्र पर [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] या , यथास्थिति, [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के अनूमोदन से [1][ग्राम विकास बैंक], सम्पत्ति या असमें हित के ऐसे भाग को, जिसे वह उचित समझे, बैंक के पक्ष में सृजित या किये गये बन्धक, प्रभार या गिरवी से, सदस्य द्वारा देय शेष धनराशी की सुरक्षा का सर्थक ध्यान रखते हूये निर्मुक्त कर सकता है।]

[1][ग्राम विकास बैंक] या [उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में निष्पादित लेख्यों का रजिस्ट्रीकरण

[2]**[23–**(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी बात के होते हुए भी किसी उधारकर्ता सदस्य द्वारा ऋण का प्रतिदान सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] या [1][ग्राम विकास बैंक] के पक्ष मे निष्पादित किसी भूमि या उसमें किसी हित या अन्य अचल सम्पत्ति पर प्रभार या बन्धक सूचित करने वाले विलेख को उसके निष्पादित के दिनांक से उक्त अधिनियम के अनुसार सम्यकरूप से रजिस्ट्रीकृत समक्ता जायगा, बशर्ते बैंक, निष्पादन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उस लेख्य की जिसके द्वारा ऐसा प्रभार या बन्धक सृजित किया गया हो, एक प्रति जो बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा सम्यक रूप से सही प्रति प्रमाणित की गयी हो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राप्ति स्वीकार की रसीद के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के साथ, उस पर रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई हो, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओ के भीतर प्रभारित या बन्धक रखी गयी समपूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और संबद्ध उप रजिस्ट्रार, यथास्थिती ऐसी प्रति या प्रतियों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करेगा ।

(2) जहां उप रजिस्ट्रार की राय हो कि उक्त लेख्य पर सम्यक रूप से स्टाम्प नहीं लगाया गया है या उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न कोई त्रुटि हो गयी है, वहां वह लेख्य की, यथास्थिति, प्रति या प्रतियां बैंक को वापस भेज कर उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह तीस दिन या ऐसी बढ़ाई अवधि के भीतर जिसकी अनुमति उप रजिस्ट्रार उस नितित्त दे, मूल प्रति पर स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करे या त्रुटि को दूर करे । बैंक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में किसी बात के होते हुये भी, कमी को पूरा करायेगा या त्रुटि को दूर करायेगा ।

(3) बैंक, यथास्थिति, स्टाम्प शुल्क की कमी पूरी होने या त्रुटि दूर होने के पश्चात् लेख्य की प्रति उपधारा (1) में निर्धारित रिती से उप रजिस्ट्रार के पारा पुनः भेजेगा, और तदुपरान्त उप रजिस्ट्रार उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार पुस्तक संख्या 1 में उस प्रति को नत्थी करेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुये भी, उधारकर्ता सदस्य, न्यासधारी या [1][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] या [1][ग्राम विकास बैंक] के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह स्वयं या अभिकर्ता द्वारा किसी ऐसे संलेख के, जिसका निष्पादन उसने अपने अधिकारिक रूप में किया हो, रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध किसी रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो या उक्त अधिनियम की धारा 58 कार्यवाही में किये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

1956 under this Act.

[1][23–(क) जहां प्रभार या बंधक सृजन करने वाले लेख्य की प्रति धारा 23 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये भेज दी गई हो, वहां बैंक ऐसे लेख्य की एक प्रति तहसीलदार या ऐसे अन्य पदधारी को भी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाये, भेजेगा । तहसीलदार या अन्य पदधारी ऐसे प्रभार या बंधक का विवरण इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में अंकित करेगा। रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में होगा और उसका निरीक्षण करने की अनुमति और उसकी प्रतियां या उससे उद्धरण ऐसी रीति से और ऐसा शुल्क देने पर दिये जायेगें जो नियत किये जायें।] **प्रभार या बन्धक अंकित करने के लिये राजस्व रजिस्टर**

[2][24–यदि मण्डल उचित समझे तो वह इस अधिनियम की धारा 16, 18 और 21 के अधीन अपने सभी या किन्ही अधिकारों को बैंक के किसी एक या अधिक अधिकारियों को प्रतिनिहित कर सकता है।] **मण्डल द्वारा कतिपय अधिकारो का प्रतिनिधान**

25–ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882 की धारा 102, और 103 के, तथा उक्त धाराओ के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये उक्त ऐक्ट की धारा 104 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधिन तामील किये जाने वाले सभी नोटीसो पर यथाशक्य, प्रवृत्त होंगे । **ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट 1982 की धारा 102,103 और 104 का इस अधिनियम के अधिन नोटिसो पर लागू होगा**

26–(1) यदि [3][ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में निष्पादित किसी बन्धक पर, चाहे वह इस अषिनियम के प्रारम्भ होने के पहले निष्पादित किया गया हो या बाद में, कोई आपत्ति इस आधार पर की जाये कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिये निष्पादित किया गया था जो उस परिवार के वयस्क या अवयस्क सदस्यो पर बन्धनकारी नहीं था, तो इसे सिद्ध करने का भार, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उस पक्ष पर होगा जो उस बन्धक पर आपत्ति करें । **ऐक्ट सं0 4, 1882 संयुक्त हिन्दू परिवारो के प्रबन्धक द्वारा निष्पादित बन्धक**

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेगे जो संयूक्त हिन्दू परिवार के सदसयों पर बन्धनकारी होंगे :––

(क) कृषि भूमि का या खेती की रीतियों में सुधार अथवा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये अन्य साधनों को वित्त पोषित करना ; और

(ख) भूमि का क्रय ।

[4][(ग) परिवार के लिये ग्रामिण निवास गृहो का निर्माण ।]

27–हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट, 1956 की धारा 8 [3][ग्राम विकास बैंक] के पक्ष में किये गये बंधको पर इस परिष्कार के अधीन रहते हुये प्रवृत्त होगी कि उसमें न्यायालय को किया गया अभिदेश कलेक्टर या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को किया गया अभिदेश समझा जायेगा और कलेक्टर या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जायेगी । **परिष्कार जिसके अधीन रहते हुये हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट, 1956 की धारा 8 इस अधिनियम के अधीन बन्धको पर लागू होगी**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 8 द्वारा बढाया गया।
2. उपर्युक्त कि धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 12 द्वारा बढाया गया।

अन्य अधिनियमो मे बैंको के लिये किया गया अभिदेश किस प्रकार समझा जायेगा

[1][**28**–(1) [2][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] (संशोधन) अधिनियम 1989 के प्रारम्भ के दिनांक से, किसी विधि या परिनियत संलेख में––

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक या [2][उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक का [2][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के लिये किया गया अभिदेश [2][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा;

(ख) किसी भूमि बंधक बैंक या किसी [2][ग्राम विकास बैंक] के लिये किया गया अभिदेश किसी [2][ग्राम विकास बैंक] के लिये किया गया अभिदेश समझा जायेगा।

(2) [2][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] (सशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक की विद्यमान [2][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] या किसी [2][ग्राम विकास बैंक] का नाम निबन्धक द्वारा लिखित आदेश से [2][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] या, यथास्थिति, [2][ग्राम विकास बैंक] के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा और ऐसे बैंक का मूल प्रमाण–पत्र और उपविधियों तदनुसार संशोधित हो जायेगी और निबन्धक के आदेश से किया गया ऐसा नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन समिति द्वारा सम्यक् रूप से नाम परिवर्तित किया गया समझा जायेगा ।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा [2][उत्तर प्रदेश सहकारीं ग्राम विकास बैंक] के पक्ष मे कोई बन्धक सीधे निष्पादित किया जाय, वहां धारा 14, 20, 22, 23, 26 और 27 मे [2][ग्राम्य विकास बैंक] के लिये किये गये सभी अभिदेश [2][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक] के लिये किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ होने के पश्चात् अन्य अधिनियमों में बैंक के लिए किया गया अभिदेश किस प्रकार समझा जायेगा

[3]**[28**–(क) (1) [2][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से किसी विधि या परिनियत संलेख में––

(क) [2][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] के लिए किया गया कोई अभिलेख [2][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा,

(ख) राज्य राज्य कृषि एवं ग्राम विकास बैंक के लिए किया गया कोई अभिदेश [2][उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक] के लिये किया गया अभिदेश समझा जायेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1989 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 5 द्वारा बढाया गया।

(ग) किसी [1][ग्राम विकास बैंक] के लिए दिया गया कोई अभिदेश ग्राम विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा ,

(घ) किसी [1][सहकारी ग्राम विकास बैंक] के लिये किया गया कोई अभिदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा ।

(2) उत्तर प्रदेश [1][सहकारी ग्राम्य विकास बैंक] (संशोधन) अधिनियम 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को विधमान [1][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक] तथा [1][ग्राम्य विकास बैंक] का नाम, पता, [1][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक] तथा [1][ग्राम्य विकास बैंक] के रूप निबन्धक द्वारा लिखित आदेश द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा और ऐसे बैंक का मूल प्रमाण पत्र और उप–विधियो तदनूसार संशोधित हो जायेगी और निबन्धक के प्रवेश से किया गया ऐसा नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन समिति द्वारा सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित किया गया समझा जायेगा ।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा [1][उत्तर प्रदेश सहकारीं ग्राम्य विकास बैंक] के पक्ष मे कोई बन्धक सीधें निष्पपदित किया जाय, वहां धारा 14, 20, 22, 23, 26 और 27 मे [1][ग्राम्य विकास बैंक] के लिये किये गये सभी अभिदेश [1][उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक] के लिये किये गये अभिदेश समझे जायेंगे ।

विनिमय बनाने व मण्डल का अधिकार

29–मण्डल, न्यासधारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम, उत्तर प्रदेश [2][ग्राम विकास बैंक] के नियमो एवं उपविधियों के उपबन्धों से असंगत न हो और जिनमें निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी की व्यवस्था की गयी हो––

(क) ऋण–पत्रो की अवधि तथा उन पर देय ब्याज का दर निश्चित करना;

(ख) ऋण–पत्रधारियो को नोटिस देने के पश्चात् ऋण–पत्रो का प्रत्याहरण;

(ग) क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट ऋण–पत्रो के स्थान पर नये ऋण–पत्र जारी करना;

(घ) एक वर्ग के ऋण–पत्रो को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण–पत्रो में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हों;

(ङ) [1][ग्राम विकास बैंक] के बही–खातो (accounts books) तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण;

(च) [1][ग्राम विकास बैंक] द्वारा अपने व्यवहारों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन एवं विवरणयां प्रस्तुत करना;

(छ) [1][ग्राम विकास बैंक] और उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि–विकास बैंक कें बीच नियतकालिक लेखा–परिशोधन तथा उन बंधकों पर जो [1][ग्राम विकास बैंक] को संक्रमित किये गये हों या धारा 12 के अधीन संक्रमित कियें गये समझे गये हों, [1][ग्राम विकास बैंक] द्वारा वसूल की गयी धनराशियों का भुगतान;

(ज) वह प्रपत्र निर्दिष्ट करना जिसमें ऋणों के लिये [1][ग्राम विकास बैंक] अथवा [1][उत्तर प्रदेश सहकारी विकास बैंक] को प्रार्थना पत्र दिये जायें तथा इस प्रकार के ऋणो

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

के दिये गये के सम्बन्ध मे अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(झ) ऋणो के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी सम्पत्तियों का मूल्यांकन;

(ञ) बंधककर्ताओ से वसूल की गयी धनराशियों का विनियोजन ; तथा

(ट) सामान्यतया कोई ऐसा अन्य विषय जिसके सम्बन्ध में कण्डल यह समक्ते कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपबन्ध बनाये जाने चाहिये ;

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (झ) अधीन बनाये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगे ।

नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार

30–(1) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशन के पश्चात्, सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है [1][जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस नियत करने का कोई नियम भी है।]

(2) विशेषतया तथा उप–धारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था करने के लिये नियम बना सकती है ––

(क) [2][ग्राम विकास बैंक] को बंधक रखी गयी भूमि की उपज अभिहरण करने तथा उसके विक्रय की प्रक्रिया ;

(ख) [2][ग्राम विकास बैंक] को बंधक रखी गयी सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया ;

(ग) मण्डल द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्रो की सीमा अवधारित करने के लिये धारा 6 की उप–धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिशत निश्चित करना;

(घ) वे शर्तें निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन दी गयी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ायी, समाप्त, कम या परिष्कृत की जा सकती है

(ङ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो अथवा जो नियत किया जाये।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधाना मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगें और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (Annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगें, जो विधान–मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशुन्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता प्रतिकूल पर प्रभाव न डालेगा ।

न्यासधारी तथा अन्य व्यक्ति लोक सेवक होंगे

ऐक्ट संख्या 45, 1860

31–न्यासधारी, निबंधक, या धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन संपत्ति का अभिहरण और विक्रय करने के लिये निबंधक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अथवा धारा 21 के अधीन नियुक्त कोई प्रापक, इंडियन पीनलकोड की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझे जायेंगे।

लोक सेवक बिक्री में बोली न बोलेंगे

32–धारा 31 में अभिदिष्ट लोक सेवक, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बेची गयी किसी चल या अचल सम्पत्ति का न तो क्रय करेगा और न उसके बोली बोलेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1979 की धारा 10 द्वारा बढाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नोट :–

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1994 की धारा 4 द्वारा मूल अधिनियम में किसी भी धारा में जहां कहीं भी :–

(क) शब्द **''सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक''** या उनके व्याकरणिक रूप भेद आये हों उनके स्थान पर यथास्थिति शब्द **''सहकारी ग्राम विकास बैंक''** या उनके तत्समान व्याकरणिक रूप भेद रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द **''राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक''** शब्द आये हों उनके स्थान पर शब्द **''उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक''** रख दिये जायेंगे।

(ग) शब्द **''कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक''** या उनके व्याकरणिक रूप भेद आये हों उनके स्थान पर यथास्थिति शब्द **''ग्राम विकास बैंक''** या उनके तत्समान व्याकरणिक रूप भेद रख दिये जायेंगे;

(घ) शब्द ''**उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक**'' आये हों उनके स्थान पर **''सहकारी ग्राम विकास बैंक''** रख दिये जायेंगे।